



केन्द्रीय विद्यालय संगठन / KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा / REGIONAL OFFICE, AGRA

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार)

(Under Ministry of HRD, Govt. of India)

ग्रान्ड परेड रोड, आगरा छावनी / Grand Parade Road, Agra Cantt

आगरा (उ.प्र.) - 282001 / Agra (U.P.) - 282001

☎0562-2225530, 2225588, 2225523

Fax : 0562-2225374

www.kvsroagra.org

F.No.30075-2/2012-KVS AGRA/ 13092

Date: 31.10.2016

आदेश

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार एवं भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 ग के अन्तर्गत लिए गए निर्णय संख्या 25 जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं, तथा केन्द्रीय विद्यालयों के लिए निर्धारित शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 160 के निबंधन में निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति इस क्षेत्रीय कार्यालय में पुनर्गठित की जाती है जो आगरा संभाग के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालय आगरा की उत्पीड़न से पीड़ित महिला कर्मचारियों की शिकायतों का तत्परता से निवारण करेगी :-

1.	संयोजक	सुश्री रेखा सक्सेना, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय कमांक-2, ग्वालियर
2.	गैर-सरकारी संगठन सदस्य	1. श्रीमती शौला बहल, 42/11, बिल्लोचपुरा, मदिआ कटरा, आगरा 2. डॉ० कृष्णा पाण्डेय, 111, पश्चिम अर्जुन नगर, आगरा
3.	सदस्य	1. श्रीमती रीना चक्रवर्ती, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय कमांक-3, झॉंसी 2. श्री सुधाकरन पी०वी०, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय कमांक-2, आगरा

उपर्युक्त समिति को शिक्षक द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के साथ किए गए अनैतिक आचरण से सम्बन्धित प्रकरणों को भी केन्द्रीय विद्यालयों के लिए निर्धारित शिक्षा संहिता के अनुच्छेद-81 (B) के अन्तर्गत सारांश जॉच (Summary enquiry) मामले भी कार्रवाई हेतु प्रेषित किए जा सकते हैं ।

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इस प्रकार की शिकायतों को समिति के संयोजक को उपलब्ध कराया जाएगा । संयोजक, जॉच कार्यवाही संपन्न करने हेतु उपर्युक्त गठित समिति में किसी एक गैर-सरकारी संगठन सदस्य तथा एक प्राचार्य को सहयोजित (Co-opt) करेंगे । समिति शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी ।

यह आदेश DOPT के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में संशोधित रूप में जारी किया जाता है जिसमें यह निदेशित है कि अन्तरिम शिकायत निवारण समिति की संयोजक महिला अधिकारी ही होगी ।

यह आदेश-पत्र इस मामले में पूर्व में जारी किए गए सभी आदेशों के अधिकमण में जारी किया गया है ।

वाई अरुण कुमार
(वाई० अरुण कुमार)
उपायुक्त 21/10/16

वितरण:

1. समिति के सभी सदस्य ।
2. सहायक आयुक्त (सर्तकता), के०वि०सं०(मु०छ्वालय), नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
3. उपायुक्त, के०वि०सं०, समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय आगरा संभाग । इस कार्यालय आदेश की विषयवस्तु को अपने विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों/शिक्षकों की जानकारी में लाएं । साथ ही अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति को भी इसकी जानकारी दें ।
5. के०वि०सं० (क्ष०का०) आगरा संभाग के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के सूचनार्थ ।
6. निजी सहायक, उपायुक्त को क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 7- गार्ड फाइल